कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

आदेश

क्रमांकः 2858 /न्या.लि. /2020

रायगढ़,दिनांक 19.03.2020

जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं सार्थक उपाय के लिये शासन से प्राप्त निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन हेतु जिला स्तरीय कोर कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ –अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ – सदस्य
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़– सदस्य
4. डॉ. हबेल सिंह उरांव, उप अधीक्षक जिला चिकित्सालय सह मेडिकल कॉलेज रायगढ़– सदस्य
5. आयुक्त नगरपालिक निगम रायगढ़– सदस्य
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ – सचिव
7. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी रायगढ़– सदस्य

उक्तानुसार कमेटी प्रत्येक दिवस सायं 5:00 बजे अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायगढ के कार्यकक्ष में बैठक लेकर जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में समीक्षा करेंगे एवं अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावेंगे।

कलेक्टर एवं
जिला दंडाधिकारी,रायगढ़

पृ.क्रमांकः 2858 /न्या.लि. /2020

रायगढ़,दिनांक 19.03.2020

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सर्व संबंधित.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं
जिला दंडाधिकारी,रायगढ़